

35v

राजस्थान सरकार , नगरीय विकास, आवासन एवं स्वागति भासना विभाग

क्रमांक ८० ३(२१२)नविवि / ३ / २०११

जयपुर दिनांक : १५ AUG 2014

आदेश

राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 31 एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निमालित प्रावरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए प्राधिकरण / न्यास / नगरीय नकाय स्तर पर भवन निर्माण अधिक इडाये जाने की रवीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:-

1. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 14 (ए) के अन्तर्गत नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्धारित 10 वर्ष की अवधि में भी भवन निर्माण नहीं करने के कारण निरस्त / निरस्त वायु भूखण्डों की भवन निर्माण अवधि को दिनांक 31.03.2015 तक बढ़ाकर निर्धारित रेट वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे।
 2. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 17 (बी) के अन्तर्गत तथा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 (6) (सी) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के पश्चात गवन निर्माण हेतु निर्धारित गवन निर्माण अवधि को दिनांक 31.03.2015 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे।

किन्तु पूर्व में निरसारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा। उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

५।६।१

प्रतिलिपि निम्नांकित को सच्चार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयोगित है—

- प्रमुख सचिव, माननीय गुरुत्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
 - निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
 - निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
 - आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
 - आयुक्त, जयपुर, विकास प्राधिकरण/जयपुर जोधपुर विभाग प्राधिकरण, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर।
 - रायुक्त शासन सचिव-प्रश्ना/ दृतीय एवं उपशासन सचिव दृतीय नगरीय विभाग विभाग।
 - रायुक्त उपशासन सचिव नगरीय विकास विभाग को इकत आदेश निमांगीय वेवराईड पर अपलोड करताये जाने हेतु।
 - सचिव, रायपुर नगर नगरी नगर, राजस्थान।
 - निशाचार, रायपुर नगरी नगरी नगर, कुरुक्षेत्र जयपुर का विकास लेख है जिसी नाम निकायी निशाचार से जारीकरा है। की प्रति प्रोफेन कल्पनामूलक है। (104).